# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर।

क्रमांकः–एफ /मु0/प्रशा./वि.के./2026/16 दिनांकः–16/01/2026

## संशोधन पत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाइसेंसी नियुक्त करने हेतु ई–बोली सूचना संख्या 01/2025–26, रेफरेन्स नम्बर एफ– /मु0/प्रशा/विके/2026/05 दिनांक 06.01.2026 (Tender ID-2026_RSRTC_525590_1) द्वारा बोली जारी कर निगम की बेवसाइट, SPPP पोर्टल तथा e Proc पर अपलोड की गई थी। उक्त बोली में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

| क्र0सं0 | पूर्व की शर्त | संशोधन |
|---|---|---|
| 1 | **बोली की शर्त संख्या 5**<br>निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेगें उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर सुरक्षा राशि के रूप में बसो की संख्या **X** अनुमोदित दर राशि **X** 6 माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की बैंक गारण्टी (राजस्थान राज्य में संचालित शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के छः माह बाद तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। यह राशि धरोहर राशि रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त देय होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना किसी ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर फर्म के विरूद्व कोई राशि बकाया नही होने की स्थिति में बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बोलीदाता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा। यदि उसके द्वारा सुरक्षा राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एंव अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम के वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के | निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेगें उन्हे इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर सुरक्षा राशि के रूप में बसो की संख्या **X** अनुमोदित दर राशि **X** 3 माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की बैंक गारण्टी (राजस्थान राज्य में संचालित शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के छः माह बाद तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। यह राशि धरोहर राशि रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त देय होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना किसी ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर फर्म के विरूद्व कोई राशि बकाया नही होने की स्थिति में बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बोलीदाता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा। यदि उसके द्वारा सुरक्षा राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एंव अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम के वैशाली नगर आगार की लगभग 80 (3x2) ब्लू लाईन बसों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, मनोरंजन और सूचना के लिए एलईडी टीवी (डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम) की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और रखरखाव करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान |

| | | |
|---|---|---|
| | साथ ही विज्ञापन प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान करने के कार्य हेतु अनुज्ञाधारी को (लाइसेंसी) नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं। | करने के कार्य हेतु अनुज्ञाधारी को (लाइसेंसी) नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं। |
| 2 | **बोली की शर्त संख्या 8**<br>लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक वही रहेगी। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जावेगा तथा उसी अनुसार लाईसेंस फीस देय होगी। निगम की बसों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है जिसके संबध में लाइसेंसी कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगा। | लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक वही रहेगी। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जावेगा तथा उसी अनुसार लाईसेंस फीस देय होगी। निगम की बसों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है जिसके संबध में लाइसेंसी कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगा। |
| 3 | **बोली की शर्त संख्या 27**<br>यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण 15 दिवस सें अधिक समय के लिए संचालन से बाहर रहती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जा सकेगी। | यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण 07 दिवस सें अधिक समय के लिए संचालन से बाहर रहती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक रूप से छूट दी जा सकेगी अथवा समायोजित की जा सकेगी |

बोली की शेष शर्ते यथावत रहेगी। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः तदनुसार सूचित होवे।

16/1/26

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)